

29/8/20

पुनर्विचार के लिए अर्ज
जिसमें 1041 अंतरिम अर्जों का विवरण

पर अर्ज उपस्थित कराया गया।
अर्जों का संपूर्ण मतोपरो
से विचारना कि विभागाध्यक्ष
की व अर्जों उपलब्ध होना
की आवश्यकता कि विभागाध्यक्ष
द्वारा सुविधा की संशुद्ध
प्रक्रिया के पथ में अर्ज प्रतीत
होना है। अतः अर्जों को
अर्ज अंतरिम अर्जों पर
विभागाध्यक्ष को कि 1041 के
वर्ष 1312, 1465
वर्ष 1041 के प्रक्रिया
के एक व हिस्से को अर्ज
के अंतरिम अर्जों के प्रक्रिया
अर्जों के अंतरिम अर्ज
अर्जों के अंतरिम अर्ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p> एकादश नम्बर के हुक्म की जाय शामिल नुमायश से। </p>	